UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।
Ph. No. – 05966-297600
Fax No. – 05966-297600
Email ID- cdpwdrkt@gmail.com
Email Id- eecdrnkt.pwduk@gov.in

पत्रांक 3403/18सी0 दिनांक, रानीखेत, 15/12/2023

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
बजट प्रकोष्ठ वर्ग, लो0नि0वि0,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

विषयः– एन0पी0वी0 की धनराशि भुगतान हेतु धनावटंन के सम्बन्ध में।

संदर्भः– प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा का पत्रांक 6271/12-1(2) अल्मोड़ा, दिनांक 28.06.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सादर अवगत कराना है कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत द्वाराहाट–सुरईखेत मोटर मार्ग से बयेला नाड़ तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (पुनरीक्षित आगणन) की स्वीकृति के अन्तर्गत वृक्षों के पातन, जिसकी सैद्धान्तिक स्वीकृति 27.11.2018 से पूर्व प्राप्त हो चुकी है, तथा वर्तमान में प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा के पत्रांक 6271/12-1(2) अल्मोड़ा, दिनांक 28.06.2023 द्वारा एन0पी0वी0 की कुल देय धनराशि रू0 5710518.00 एवं पूर्व में जमा की गयी एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 3732365.00 अर्थात् वर्तमान में देय एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 1978153.00 (उन्नीस लाख अठहत्तर हजार एक सौ तिरेप्पन रूपये) की मांग की गयी है। जिसका डिमाण्ड नोट संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है

अतः महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त विषयक कुल धनराशि 1978153.00 (उन्नीस लाख अठहत्तर हजार एक सौ तिरेप्पन रूपये) आवंटित करने की कृपा करें, जिससें अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

अतः सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नः– 1–डिमाण्ड नोट 01 नं0।

भवदीय,
15/12/23
(परमेश सिंह नेगी)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

पत्रांक 3403/18सी0 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

15/12/23
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
रानीखेत

CDRKT:D/Ameen/EE Letter

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फैक्स: 05962.232182ई–मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 6271 / 12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 28-6-2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।

पत्रांक 3928
फाईल सं. 1C
दिनांक 3-7-23

विषय स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत द्वाराहाट—सुरईखेत मोटर मार्ग से बयेला नाड़ तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (पुनरीक्षित आगणन) की स्वीकृति के अन्तर्गत वृक्षों के पातन के विषय में।

सन्दर्भ — प्रमुख वन संरक्षक (Hoff) उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 1257/P.O. दिनांक 03.06.2022।

उपरोक्त विषयक क्रम में सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि वन भूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित ऐसे प्रकरण जिनमें सैद्वान्तिक स्वीकृति 27.11.2018 से पूर्व प्राप्त हो चुकी है परन्तु वर्तमान तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पायी है, में एन0पी0वी0 की नयी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा की जानी है।

उक्त सम्बन्ध में प्रस्ताव में एन0पी0वी0 की नवीन दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि निम्नानुसार जमा की जानी है।

1.	ईको क्लास श्रेणी	Vth
2.	हरियाली का घनत्व (प्रतिशत)	0.5 (50 प्रतिशत)
3.	एन0पी0वी0 की दर (प्रति है0)	1292850.00
4.	आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल (है0)	4.417
5.	कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि (रूपये)	5710518.00
6.	पूर्व में जमा की गयी एन0पी0वी0 धनराशि (रूपये)	3732365.00
7.	**वर्तमान में देय एन0पी0वी0 की धनराशि (रूपये)**	**1978153.00**

(उन्नीस लाख अठहत्तर हजार एक सौ तिरेपन मात्र)

उक्त धनराशि जमा करने हेतु डिमांड नोट प्रेषित है। आपके द्वारा डिमांड नोट के साथ पूर्व में जमा की गयी धनराशि की रसीद ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड की जानी है, डिमांड नोट सत्यापित किये जाने के उपरान्त अतिरिक्त धनराशि कैम्पा कोष में जमा की जानी है। तत्पश्चात आपके द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूर्ण अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जानी है, जिससे प्रस्ताव में विधिवत स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

पत्रांक 6271 / 12-1(2) उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि— अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

AE II वन भूमि सहायक अ० प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

E:\2- data transfer\Land transfer letter 2022.docx

(153)

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/112/2015/एफ.सी./1541 दिनांक 26/10/2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय: जनपद– अल्मोड़ा में द्वाराहाट सुरईखेत मोटर मार्ग किमी0 6 हैगी 4–6 से बयेला नाड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.417 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ: मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड का पत्रांक– 829/FP/UK/ROAD/9364/2015 दिनांक 22.09.2018

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुये मुझे आपको सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्तावित स्थल की के.एम.एल. फाइल के अनुसार प्रस्तावित मार्ग वन क्षेत्र की सीमा में समाप्त हो रहा है जोकि सही प्रतीत नहीं होता है। अतः राज्य सरकार उक्त प्रकरण की जाँच करवाकर विस्तृत रिर्पोट इस कार्यालय को प्रषित करने का कष्ट करें

o/c

भवदीया,
कमलप्रीत
(कमल प्रीत)
वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।
2. आदेश पत्रावली।

o/c

कमलप्रीत
(कमल प्रीत)
वन संरक्षक

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– /FP/UK/ROAD/9364/2015 :देहरादून:दिनांकः 22 सितम्बर, 2018

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र),
25–सुभाष रोड, देहरादून।

विषयः–जनपद–अल्मोड़ा में द्वाराहाट सुरईखेत मोटर मार्ग किमी0 6 हैमी 4–6 से बयेला नाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.417 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(ऑनलाईन फाईल नं0 FP/UK/ROAD/9364/2015)

संदर्भः–भारत सरकार की पत्र संख्या–8बी/यू.सी.पी./06/112/2015/एफ0सी0/947 दिनांक 07–09–2017

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन कर आख्या निम्नप्रकार प्रेषित की जा रही है :–

1. शर्त सख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 8.834 हे0 ग्राम–फलद्वाड़ी सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु रू0 22,37,935.00 (रू0 बाईस लाख सैंतीस हजार नौ सौ पैंतीस) तदर्थ कैम्पा कोष में जमा किया जा चुका है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम–फलद्वाड़ी, पटवारी क्षेत्र–फलद्वाड़ी, तहसील–द्वाराहाट, जनपद–अल्मोड़ा में चिन्हित 8.834 हे0 सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन करा दिया गया है, म्यूटेशन किये गये भूमि के अभिलेख की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–1)**

2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 37,32,365.00 (रू0 सैंत्तीस लाख बत्तीस हजार तीन सौ पैंसठ) तदर्थ कैम्पा कोष में जमा किया जा चुका है।

3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की बचनबद्धता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–2)**

4. शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गई क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 की धनराशि को प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिये गये डिमाण्ड नोट के आधार पर (Online) ऑनलाईन जमा कर दिया गया है। **(संलग्नक–3)**

5. शर्त संख्या–5 के अनुपालन में सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ–जहाँ सम्भव हो, सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जायेगी। इस आशय की बचनबद्धत्ता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–4)**

अतः अनुरोध है कि विषयाँकित प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।
संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक

संख्या :– 829 /FP/UK/ROAD/9364/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
4. जिलाधिकारी, जनपद–अल्मोड़ा।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
6. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक

9/c

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 17-01-2018

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	11393642015267
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/112/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Construction Division P.W.D RanikhetAlmora
Amount(in Rs)	5970300/-

Amount in Words :Fifty-Nine Lakh Seventy Thousand Three Hundred Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	N/A
Pay to Account No.	Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	N/A

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 17-01-2018

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	11393642015267
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/112/2015/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Construction Division P.W.D Ranikhet Almora
Amount(in Rs)	5970300/-

Amount in Words :Fifty-Nine Lakh Seventy Thousand Three Hundred Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	N/A
Pay to Account No.	Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	N/A

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com